

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
01.12.2022

मिसल नम्बर
25/2012/प्रा.पत्र/2012

तारीख दायरा
20.07.2012

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-विक्रेता श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन निवासी महावीर चौक लाल हवेली
पुरानी टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स प्रेम चन्द इन्द्र मल खारी बावडी पुरानी टोंक जिला
टोंक

2-मैसर्स प्रेम चन्द इन्द्र मल खारी बावडी पुरानी टोंक जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपरिथत—

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी स्वयं।

:—निर्णय—:

दिनांक 01.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 02.03.2012 को समय 12:30 पर मैसर्स प्रेम चन्द इन्द्र मल खारी बावडी पुरानी टोंक
जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पारस कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन मिला, को अपना
परिचय दिया एवं परिचय लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान
में एल्युमिनियम की टंकी में आम जनता को विक्रय करने हेतु लगभग 20 किलो घी रखा हुआ
था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पारस कुमार
जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में
विक्रेता श्री पारस कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय
सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि
यह घी वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 किलोग्राम खरीदा,
जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम घी को चार साफ एवं
सूखी कांच की शीशीयों में बराबर-बराबर (एक भाग 250 ग्राम) डालकर शिशियों के ढक्कन
को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों
नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व
स्थापना दिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-262 दर्ज



2040

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। प्रत्येक लेबल को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर चिपकाए। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/1397 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./318/एफएसएसए/2012/315 दिनांक 22.03.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया घी अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 29.11.2012 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर दिनांक 21.03.2013 को जवाब पेश किया तथा दिनांक 01.07.2015 को प्रार्थना पत्र बाबत् गवाहान से जिरह करने की अनुमति दिए जाने पेश किया। आज अप्रार्थी उपस्थित हुए एवं जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी का नमूना जांच में अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
न्याय निवेदन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०